

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/20/ 13

दिनांक 22/07/2020

—: आदेश :—

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करें।

पटवार मण्डल :- पीपलाज

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि			
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार के पत्रांक मय दिनांक	मसूदा नम्बर	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00185	3692 21.07.2020		रूपारेल	1262/904	0.7847 है.	बारानी 2	1262/904/1	4500 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता
2	2020/00186	3692 21.07.2020		पीपलाज	1601	2.3623 है.	बरड़ा	1601/1	180 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता
3	2020/00186	3692 21.07.2020		पीपलाज	2263/1602	12.3615 है.	पहाड़	2263/1602/1	1080 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता
4	2020/00187	3694 21.07.2020		रूपारेल	1170/419	8.5916 है.	गै.मु. चट्टान	1170/419/1	7200 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता
5	2020/00188	3695 21.07.2020		पीपलाज	2263/1602	12.3615 है.	पहाड़	2263/1602/2	6750 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता
6	2020/00189	3696 21.07.2020		पीपलाज	2263/1602	12.3615 है.	पहाड़	2263/1602/3	3150 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता
7	2020/00190	3697 21.07.2020		पीपलाज	1604	8.4217 है.	पहाड़	1604/1	3600 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता
8	2020/00191	3698 21.07.2020		अमृतपुरा	1979	0.6957 है.	बरड़ा	1979/1	4500 वर्ग मीटर	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

